

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/17/2019/10-11/2/3720

भोपाल, दिनांक/7.8.23

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र

केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, लिंक रोड़ नं. 3

रविशंकर नगर भोपाल-462016

विषय:-बैतूल जिले के अन्तर्गत मेढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।(FP/MP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 025/2022-बीएचओ दिनांक 14.10.2022

---00---

विषयांकित प्रकरण मे भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से चाही गई अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर संलग्न प्रस्तुत है :-

क्रं	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	As per the DSS some cleaning and Dam construction activities are observed in forest comp. 1101, Beat-pipla, Range-Tapti, Division-South Betul. DFO needs to recheck by revisiting the site and submit report w.r.t. violation of FCA.	इस संबंध में उप वनमण्डलाधिकारी, आमला एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ताप्ती से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वनभूमि पर डेम निर्माण से संबंधी कोई गतिविधि एवं साफ-सफाई कार्य नहीं किया गया है, कांक्रीट कार्य निजी भूमि में किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
2	As per forest boundary, some part of submergence area is not marked in KML that is falling in forest compartment. Revised KML shall be uploaded on e.portal.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल ने अवगत कराया है, कि वनविभाग के पोर्टल पर अपलोड वनमण्डल की KML file शिफटेड (त्रुटिपूर्ण) है, वास्तविक वनमण्डल की KML file को वेबपोर्टल के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) की टेबल के अनु क्रं.-7 में अपलोड की गई है। तथा आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित वनभूमि की KML file को भी संशोधित कर वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है।
3	CA is proposed on revenue forest land of 44.28 ha. Out of this, 11.00 ha has MDF. This needs to be clarified / rectified.	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त 44.28 हे० छोटे झाड़ जंगल मद की भूमि में 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित किए जाने हेतु उपयुक्त है, एवं उक्त भूमि आरक्षित वनकक्ष क्रमांक-225 की दक्षिण सीमा से लगी हुयी है। इस संबंध में उप वनमण्डलाधिकारी, शाहपुर एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी, शाहपुर का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

-2-

4	Some part of Proposed CA area (survey no.-17/1) is overlapping with another proposal no. FP/MP/IRRIG/37077/ 2018, Area-1.987 ha. This needs to be rectified.	आवेदक विभाग द्वारा गैर वनभूमि की संशोधित KML file आनलाईन वेबपोर्टल पर अपलोड की गई है।
5	Compartment wise breakup of land required and component wise calculation with the layout plan shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत परियोजना का Layout Plan संलग्न है।
6	KML file of layout plan of forest area and non forest area shall be submitted / uploaded on e.portal.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना में सम्मिलित वनभूमि एवं गैर वनभूमि की सम्पूर्ण KML फाईल को आनलाईन भाग-I के बिन्दु क्रं.- C(ii)(a) के नीचे टेबल में क्रं.-6 में 0 हेक्टे. के रूप में अपलोड की गई है।
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा Muck disposal scheme की प्रति आनलाईन भाग-I की अतिरिक्त जानकारी की टेबल के बिन्दु क्रमांक-3 में अपलोड की गई है। छायाप्रति संलग्न है।
8	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) needs to be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल द्वारा प्रति हस्ताक्षरित टीप की छायाप्रति संलग्न है।
9	No objection certificates of concerned departments (Railway, Road, TL etc) shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित परियोजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट सड़क, ग्रामिण सड़क एवं रेल्वे लाईन को क्रॉस नहीं कर रही है। आवेदक विभाग का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
10	As per SIR of DFO, 144 families are affected, thus, rehabilitation plan shall be submitted.	परियोजना अन्तर्गत प्रभावित परिवारों के लिए आवेदक विभाग द्वारा तैयार किए गए आर एन्ड आर प्लान की प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17-8-23

पृ. क्रमांक/एफ-3/17/2019/10-11/2/3721

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल दक्षिण बैतूल/उत्तर बैतूल, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान सभाग क्रमांक-2, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल (म.प्र.)

पता - कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail dfotsbetul@mp.gov.in

Fax & Phone : 07141-234266

क्रमांक/मा.चि./

507

बैतूल, दिनांक 18/04/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :- बैतूल जिले के अन्तर्गत "मेढ्रा मध्यम परियोजना" के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIG/37074/2018)

- संदर्भ:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्र./6-MPR-025/2022-बी.एच.ओ. दिनांक 14.10.2022
 2. आपका पृ. पत्र क्र./एफ-3/17/2019/10-11/2/3541 दिनांक 17.10.2022
 3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल का पत्र क्र./207/कार्य/2023 दिनांक 27.01.2023
 4. उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.) का पत्र क्र./1768 दिनांक 26.12.2022
 5. परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) का पत्र क्र./2008 दिनांक 23.12.2022

-00-

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा अतिरिक्त बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। वनमंडल से संबंधित बिन्दु क्रमांक-01 के संबंध में निवेदन है कि प्रकरण में कक्ष क्रमांक पी-1101 में बांध निर्माण संबंधी गतिविधि एवं सफाई कार्य से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.)/परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.)/परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) के संदर्भित पत्रों से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति मय सहपत्रों के संलग्न प्रेषित है। जिसके अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा वनभूमि पर डेम निर्माण संबंधी कोई गतिविधि एवं साफ-सफाई कार्य नहीं किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। जिससे सहमत होकर मय अनुशंसा के प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वनमंडल से संबंधित बिन्दु क्रमांक-02 के संबंध में निवेदन है कि दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल की पूर्व से पोर्टल पर अपलोड KML फाईल शिफ्टेड (त्रुटिपूर्ण) होने के कारण कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा वर्ष 2018 में वनमंडल की उपलब्ध कराई गई अपडेटेड KML फाईल ई-मेल एवं सॉफ्ट कापी में संलग्न प्रेषित है।

साथ ही भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा वेबपोर्टल अपलोड करते हुये हार्ड कापी वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत की है। जिसकी 03 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(विजयानन्तम टी.आर.)

भा.व.से

वनमंडलाधिकारी,

दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

बैतूल, दिनांक /04/2023

पृ.क्रमांक/मा.चि./

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



दिनांक

२

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

21-4

सह-

वनमंडलाधिकारी,

दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल



कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ताप्ती (सामान्य)

E-Mail rottapti@mp.gov.in

Phone : 07141-232534

क्रमांक / 2008
प्रति,

बैतूल, दिनांक 23/12/2022


श्रीमान वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बैतूल

- द्वारा :- उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा)
विषय :- बैतूल जिले के अन्तर्गत "मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना" के निर्माण हेतू
20.14 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।
(FP/MP/IRRIE/37074/2018)
संदर्भ :- आपका पत्र क/मा.चि./7375 दिनांक 23.11.2022

---000---

विषयोक्त संदर्भ में निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 06.12.2022 को परिक्षेत्र सहायक सेहरा, परिक्षेत्र सहायक झल्लार, बी.गा. टेमूरनी, बी.गा. पीपला एवं जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी घोडाडोंगरी, अनुविभागीय अधिकारी भैसदेंही, संलग्न अधिकारी बैतूल एवं उपयंत्री के हमराह बैतूल जिले के अन्तर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतू कक्ष क्रमांक P1101 का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया, मौका स्थल पर कक्ष क्रमांक P1101 के अन्दर मेंढा डेम निर्माण संबंधी कोई गतिविधी साफ-सफाई का कार्य नहीं किया गया है। मेंढा डेम निर्माण के अन्तर्गत कांकीट का कार्य किया गया है, जो कि निजी भूमि में किया गया है। अर्थ वर्क कार्य नदी में किया गया है जो कि सीमा के बाहर है। वनसीमा की जी.पी.एस., कांकीट कार्य की जी.पी.एस. रिडिंग एवं अर्थ वर्क की जी.पी.एस. रिडिंग का मौका पंचनामा मय मानचित्र के संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित है।

संलग्न :- मौका पंचनामा एवं मानचित्र।




वन परिक्षेत्र अधिकारी
ताप्ती (सामान्य)

DM
✓

1768
26.12.2021

बनमंडलाधिकारी वनमंडलाधिकारी
(सा) जी ओर पर आ तादी (सा) के
घतिवेण से सहमत लेते आवश्यक
कायवाही लेल कालर सम्बन्धित
सुलेख - उपरोक्त

उप वनमंडलाधिकारी
आमला (सा.)



पंचनामा

हम नीचे बरतासर कृपे कोले पंचनाम नया नाम की गरी गरी करदीठ अले है
 कि याम दिनांक 06/12/2022 को श्रीमान कमरेश्वरचिठारी तहिल बेंदुल के
 ओपेल रु/गानवि/7375 बेंदुल दिनांक 23/11/2022 के परिगलन के वन
 विभाग से श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी वाप्ती (ला), परिक्षेत्र सखतु बेरा,
 परिक्षेत्र सखतु जल्लर, जी.गा. टेगुरनी, जी.गा. पीपला एवं जल्लर सैसावन
 विभाग से श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी चोड विंगरी, अनुविभागीय
 अधिकारी मैलेदी, सखतु अधिकारी बेंदुल एवं इपंगरी के वगराह
 सबके गेंब पोरसोपना का संसुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण
 में यह पाया गया कि अक्ष रु. पाण के अंदर गेंब डेग निर्माण संबंध
 अर्ध की गतिविधी एवं सडार्ड अर्थ नही किया गया है। गेंब डेग
 निर्माण के अंतर्गत शॉफिट का अर्थ हुआ है जो कि बिजी
 अर्थ में किया गया है एवं अर्थवर्ड (मिटर अर्थ) नदी में किया
 गया है जो कि वनसीमा क्षेत्र से बाहर है। उपरोक्त डेग संबंध
 अर्थ जो कि वनक्षेत्र से बाहर डिये गर है कि जी.पी. स्थ. सीडिंग
 मोडे पर जल्लर मोट कि गई।

वनसीमा की GPS सीडिंग :-

- ① 21° 45' 26.084" ② 21° 45' 28.438" ③ 21° 45' 11.110" ④ 21° 45' 12.071"
- 77° 48' 51.723" 77° 48' 50.655" 77° 49' 22.120" 77° 49' 20.414"


शॉफिट वर्ड (वेल्डिंग) GPS सीडिंग :-

- ① 21° 45' 18.121"
- 77° 48' 50.371"

अर्थवर्ड (मिटर अर्थ) GPS सीडिंग

- ① 21° 45' 26.084"
- 77° 48' 51.723"

पंचनामा गोरक्षधर पर कनाया, पडुठर सुनाया को
 यही पाया, बाद बरतासर डियो।



 P.C. Tapari 06/12/22
 A.D. W.R.D. Ghosadongy
 लीटगाई पीपला शानु पुताप
 पंचनामा गोरक्षधर विधिबद्ध किया गया
 अनुभव मिश्रा जी.गा. वाडरी
 21/12/2022

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfonbetul@mpforest.org

क्रमांक/मा0चि0/2023/ 779
प्रति,

बैतूल, दिनांक/ 23/05/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

- विषय :- जिला बैतूल के अंतर्गत मेंढा मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 20.140 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत | (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/IRRIE/37074 / 2018)
- विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत घोघरी सिंचाई परियोजना (पाईप लाईन) के निर्माण हेतु 1.987 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत | (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/IRRIE/37033 / 2018)
- संदर्भ :-
- 1.- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6- एमपीबी 029 / 2022 - बीएचओ दिनांक 31.03.2023
 - 2.- आपका पत्र क्रमांक / एफ.-3 / 20 / 2022/10-11/2 / 348 दिनांक 25.01.2023
 - 3.- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल का पत्र क्रमांक / 712 / कार्य / 2023 दिनांक 11.04.2023
 - 4.- परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर (सा.) का पत्र क्रमांक / 1184 दिनांक 16.05.2023 एवं उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) का पत्र क्रमांक / 948 दिनांक 16.05.2023

--00--

विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रकरण में प्रभावित होने वाली वनभूमि के एवज में ग्राम चापड़ा रैयत तहसील शाहपुर की भूमि खसरा नंबर - 17/1 रकबा - 54.140 हे. छोटे झाड़ के जंगल में से 9.28 हे. एवं खसरा नंबर - 17/2 रकबा - 35.00 इस प्रकार कुल रकबा - 44.28 हे. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर बैतूल द्वारा वनमंडल को हस्तांतरित की गई है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के संदर्भित पत्र के तारतम्य में उक्त स्थल का उपवनमंडलाधिकारी / परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर (सा.) द्वारा दिनांक 15.05.2023 को पुनः स्थल निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उक्त स्थल प्रति हेक्टेयर 1000 पौधे रोपित किये जाने हेतु उपयुक्त पाया गया है। आवेदित खसरा नंबर - 17/1 की सीमा आरक्षित कक्ष क्रमांक - 225 की दक्षिण सीमा से लगी हुयी है। इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी / उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार डामोर)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

-504-


P.T.O.

पृ.क्र./मा.चि./2023/ 780

बैतूल, दिनांक/ 23/05/2023

प्रतिलिपि :-


- 1- मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक - 2 बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र


जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मैदा मध्यम परियोजना के डूब में भावित हो रही 20.14 हे. वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चयनित ग्राम चापड़ा रैयत पटवारी हल्का पहावाड़ी तहसील शाहपुर की भूमि खसरा नंबर - 17/1 रकबा- 54.140 हे. में से 9.28 हे. तथा ख.न. 17/2 रकबा 35.00 हे. का पुनः स्थल निरीक्षण दिनांक 15/05/23 को किया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार उक्त चयनित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त पायी गई है। उक्त भूमि वनसीमा आर. एफ. 225 के दक्षिण से लगी हुयी है, जिसमें 1000 पौधे प्रति हे. रोपित किये जा सकेंगे।


उपवनमंडलाधिकारी
शाहपुर (सा.)


परिक्षेत्र अधिकारी
शाहपुर (सा.)

MENDHA MEDIUM PROJECT
LAYOUT PLAN

S.NO	Compartment	Component	Forest Area (in Ha.)	Non-Forest Area (in Ha.)
1	COMP- 1100	Submergence	1.12	Nil
2	COMP-1101	Submergence	3.2	Nil
3	COMP- 1119	Submergence	6.38	Nil
4	COMP- - 1080	Submergence	9.44	Nil
5	Rev./Pvt. Land	Submergence	Nil	303.41
6	Rev./Pvt. Land	Dam.Sheet Cum Spill Channel	Nil	8.45
	TOTAL		20.14	311.86


(Vipin Wamankar)
Executive Engineer
Water Resources Division No.-02
Betul

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. II BETUL**

E-mail Add. eewrdbetulmp@rediffmail.com(Fax.No 07141-2318148) Phone No. 07141-238350

Memo No./ TS/2022

Betul. Dated

**MENDA MEDIUM PROJECT
MUCK MANAGEMENT PLAN**

Impact Due to Muck Generation :-

For construction of different components of the project, surface excavation in earth mixed with boulder, hard soil and disintegrated rock and hard rock would be carried out. The excavation shall result in large quantity or excavated material i.e. Muck which shall have to be evacuated, disposed of and roller compacted or laid on mild slope pari passu with the excavation work, to such designated areas where the muck piles do not substantially interfere with either environment / ecology or the river flow regime and cause turbidity impairing the quality of water. The disposal of muck has to be scientifically planned keeping in view the maximum reutilization of muck in construction as this being earthen dam requiring substantial amount of excavated materials in construction. Reutilization would reduce / eliminate the transportation, storage and other pollution load on environment due to substantial amount of muck excavated from foundation and laying of underground pipeline.

The construction of dam and water conductor system for conveyance of water up to farm level would generate substantial amount of muck, as calculated below :-

Muck from Dam's Foundation :-

Muck from dam's foundation has been computed by the design wing of WRD, during the preparation of DPR Quantities received from excavation are given at Table 4.3 below.

A detailed estimate has also been prepared for the material required in construction of the dam, along with the quantity received and requirement of dumping of surplus material or net quantity deficit to be procured / quarried separately and same is give at Table 4.4 below :-

Table 4.3 " Quantities of Excavated Material

S.No.	Particulars	Quantities from Exavation				Total
		Sand	H/S and H/M	Disintegrated and S/R	H/R	
1	2	3	4	5	6	7
1	Stripping	1318.243	3075.9	0	0	4394.143
2	Cut off Trench	0	3216	2814	2010	8040
3	Filter	0	669.421	585.744	0	1255.165
4	Drains	0	1036.047	906.541	0	1942.588
5	Spillway	0	42409.024	37696.9	14136.3	94242.224
	Total :-	1318.243	50406.392	42003.185	16146.300	109874.120

As part of DPR and AA, a detailed estimate has also been prepared for the material required in construction of the dam, along with the quantity received and requirement of dumping of surplus material or net quantity deficit to be procured / quarried separately and same is give at Table 4.4 below

Table 4.4 " Construction Material Requirement and Availability from excavation

S.No.	Particulars	Qty required (Cum)	Material Available from Excavated (Mcm)	Surplus / Deficit (Mcm)
1	2	3	4	5
1	Boulder - HR	5280.58	16146	-1975.869
2	Pitching stone HR	6528.56		
3	Gravel HR	6312.73		
4	Sand	11443.49	1318.243	-10125.250
5	COT Soil	8040	0	-8040.000
6	E/w Soil HS/HM/DIR	200289.79	92409.577	-107880.210
	Total :-	237895.150	109873.820	-128021.329

Muck from Pipeline Rout :-

The Proposed system is a closed conduct system for conveyance of water up to farm level. To understand the impact of muck generation from laying of pipeline, quantification of this impact was carried out by calculating the muck volume which shall be generated from excavation of earth for laying of pipeline, adding a swell factor of 25% to the muck generated and subtracting the quantity of back filling. The resultant quantum is the muck generation requiring disposal.

As the top of the pipe will be laid at least 1m below the surface, for calculation of the trench volume, depth is taken as 2.5 m for rising mains. There are two rising mains proposed – 1.4m dia and 7.7km long and 1.3m dia and 4.6Km long bottom width is taken as 9cm more than the pipe dia on each side and top width is taken as ½ of the trench depth in additional to the bottom width i.e. ¼ depth on each side.

Muck from rising main and gravity main

Pipe dia = 1.4m and 1.3

Trench depth = 2.5m

Bottom width of trench = $1.4/1.3 + 0.09 + 0.09 = 1.58/1.48\text{m}$

Top width of trench = $1.58/1.48 + 2.5/2 = 2.83 / 2.73 \text{ m}$

Total Quantity of muck excavated from RM = 90726.875 Cum

$(7700 \times 2.5 \times (1.58 + 2.83) / 2 + 4650 \times 2.5 \times (1.48 + 2.73) / 2)$

Total quantity of muck with swell factor of 25% = 113408.60 Cum

Backfill Quantity = 90888.40 Cum

Muck requiring disposal = 22520.20 Cum

In addition, equivalent amount will also be generated from the distribution network, therefore a total of about 45000 Mcm will require disposal.


Muck Management :-


As discussed above, the excavated material from the dam foundation will be fully utilized in dam construction and therefore dumping need will not arise. Muck requiring along the linear route of pipe line is estimated as 45000 Mcm along a pipe network of over 50km in length (RM plus disnet) i.e. per m generation is less than 1mcm. This quantity can also be utilized in dam construction where substantial additional quantity of the order of 1.28 Lakh mcum would still be required.

Alternatively, this surplus soil will be utilized for refilling of the trenches and the approach road proposed to be constructed for carrying the pipes at site and preparation of platform for crane. During excavation, care will be taken that top fertile soil is kept aside and will be used for re-filling the top area after laying pipe line. This top soil will be spread on adjoining farming fields with consent of farmers or alternatively will be used for green belt development.

Balance Muck will be managed by spreading along the route in the low lying areas. As the topography is undulating, such low lying areas are available along the route. Any further surplus muck shall be laid in the community undulating area of the connected villages with the consent of concerning Gram-Panchayat. The muck may also be used by nearby Gram Panchayats for construction of village roads etc.

A lump sum provision of capital expenditure of Rs 100 Lakh has been made for muck disposal.


Divisional Forest Officer (T.)
South, Betul Dn.


(Vipin Wamankar)
Executive Engineer
Water Resources Division No. II
Betul

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION NO II BETUL**

Memo No/W/2023


Betul / Dated/..../2023

**MENDA MEDIUM PROJECT
JUSTIFY NOTE**


At the time of Survey there are three sites in consideration for the construction of Menda Medium Project but during the survey it is found that the site No 1 which is situated upstream of this proposed site having two much less Catchment / Live capacity also affecting more protected forest land same way on the downstream site of this selected scheme which is site No 3 will affect the protected forest so while considering all the aspect site no 2 is technically better among the three sites.


(A.K. Verma)

Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division
Ghoradongri


(Vipin Wamankar)
Executive Engineer


Water Resources Division No II
Betul



Divisional Forest Officer (T.)
Solan, Betul Dn.

MENDA MEDIUM PROJECT
COMPARATIVE STATEMENT

S.No.	Site No	Catchment area Sqkm	Live Capacity Mcm	Category of affected forest land	Reason
1	2	3	4	5	6
1	Site No 1	958	36.57	PF 24.78	For required capacity height will be taken more than site No 2 therefore PF area increased
2	Site No 2	951	36.57	PF 20.14	Proposal sit is the best site as per required capacity and minimum forest because there is revenue land. Is available thus it is best site
3	Site No 3	945	36.57	PF 27.21	For required capacity height will be more than site No 2 and there is no revenue land available. Therefore more forest land required for construction of dam


Divisional Forest Officer (T.)
South, Betul Dn.


(A.K. Verma)
Sub Division Officer
Water Resources Sub Division
Ghoradongri


(Vipin Wamankar)
Executive Engineer
Water Resources Division No. II
Betul

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल


E-mail eewrdbetulmp@rediffmail.com (Fax No. 07141-238148) Phone No. 07141-238350

पत्र क्रमांक ----- / कार्य / 2023

बैतूल / दिनांक -----

मेंढा मध्यम परियोजना

प्रमाणित किया जाता है कि मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के कम्पार्टमेंट नं. 1100, 1101, 1119, एवं 1080 कुल रकबा 20.14 हे भूमि किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट सड़क, ग्रामीण सड़क एवं रेल्वे को क्रॉस नहीं कर रही है।


(विपिन वामनकर)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 2
बैतूल

मेंढा मध्यम सिवार्ड परियोजना

ग्राम-मेंढा

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन विवरण

परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या-

मकानों की संख्या 70

वयस्क परिवार 214

अ भू-अर्जन। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

ब भू-अर्जन। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार

क्र.	पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, बागवानी, पशु चारुगाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब को 400हे तक भूमि दी जावेगी।		विस्थापित ग्राम मेंढा के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है		भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क्र. 1 के अनुसार।
2	प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी।		भू-खंड 2400 वर्ग फीट/ अधिनियम 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार।		भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क्र. 2 के अनुसार।
3	(2) परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।		कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्यांकन की राशि का दोगुना भुगतान किया जावेगा। मूल्यांकित राशि - 198.20 दोगुना राशि - 396.40		भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची कर्मांक 1 पैरा-2 के अनुसार।
4	प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये वित्तीय सहायक एकमुश्त दी जावेगी। (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये।	214	150000.00	32100000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क्र. 3 के अनुसार।

10	9	8	7	6	5	4	3	2
<p>10</p> <p>10</p>	<p>9</p> <p>9</p>	<p>8</p> <p>8</p>	<p>7</p> <p>7</p>	<p>6</p> <p>6</p>	<p>5</p> <p>5</p>	<p>4</p> <p>4</p>	<p>3</p> <p>3</p>	<p>2</p> <p>2</p>
<p>10</p> <p>10</p>	<p>9</p> <p>9</p>	<p>8</p> <p>8</p>	<p>7</p> <p>7</p>	<p>6</p> <p>6</p>	<p>5</p> <p>5</p>	<p>4</p> <p>4</p>	<p>3</p> <p>3</p>	<p>2</p> <p>2</p>
<p>10</p> <p>10</p>	<p>9</p> <p>9</p>	<p>8</p> <p>8</p>	<p>7</p> <p>7</p>	<p>6</p> <p>6</p>	<p>5</p> <p>5</p>	<p>4</p> <p>4</p>	<p>3</p> <p>3</p>	<p>2</p> <p>2</p>

पुनर्वास अनुदान का विवरण		पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
2	3	4	5	6	
11	भवनो की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	70	50000.00	3500000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 स.क 6 के अनुसार।
12	गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरो	6	25000.00	150000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 स.क 8 के अनुसार।
13	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 स.क 11 के अनुसार।

(डी.के. गुप्ता)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
घोडाडोगरी

(ए.के. देहरिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, कमाक 2
बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
भैसदेही

क्र.	पुनर्विस्थापन का विवरण	भू-अर्जन परिवार	सहायता परिवार	कुल राशि लाख	विवरण
5	माहत्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जावेगा।	3	4	5	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार।
6	प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यमों से दक्षता का विकास				भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
7	विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रु. 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा।	62	36000.00	2232000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार।
8	पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रुपये दिये जायेंगे।	22	25000.00	550000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
9	अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन				भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार।
10	मछली पकड़ने के अधिकार				विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी। भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 9 के अनुसार।
11	भवनों की सामग्री, धरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	22	50000.00	1100000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार।

1	2	3	4	5	6
12	गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरों	4	25000.00	100000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार।
13	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।		भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार।	

(डी.के.गुप्ता)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
घोडाडोगरी

(ए.के.देहरिया)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमाक 2
बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
बैतूल

गौठा माध्यम सिंचाई परियोजना

ग्राम-खापा

पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन विवरण

परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या--

मकान संख्या 113

व्ययस्क परिवार 210

अ भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

ब भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार

क्र.	पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र व्ययस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रायधान
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, बागवानी, पशु चारागाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब को 0.400 हे. तक भूमि दी जावेगी।	विस्थापित ग्राम खापा के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार।
2	प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पंपजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी।	भू-खंड 2400 वर्ग फीट	अधिनियम 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार।		भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार।
3	(2) परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा रहे तो मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।	कलेक्टर गाईड लाइन के अनुसार मकान का मूल्यांकन की राशि के दोगुना भुगतान किया जावेगा।	मूल्यांकित राशि - 201.91	दोगुना राशि - 403.81	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची कमाक 1 दरा-2 के अनुसार।
4	प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये वित्तीय सहायक एकमुश्त दी जावेगी। (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये।	210	150000.00	31500000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 3 के अनुसार।

पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र घरक परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
2	3	4	5	6
5 भाहत्मा गांधी राष्ट्रीय गारटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया				भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार।
6 प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता का विकास				भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
7 विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रु. 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा।	210	36000.00	7560000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार।
8 पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रूपये दिये जायेंगे।	113	25000.00	2825000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
9 अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन				भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार।
10 मछली पकड़ने के अधिकार				विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी। भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 9 के अनुसार।

पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रायधान
2	3	4	5	6
11 भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	113	50000.00	5650000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार।
12 गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरों	6	25000.00	150000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार।
13 स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार।

(डी.क.गुप्ता)
 अनुविभागीय अधिकारी
 जल संसाधन उपसंभाग
 घोडाडोगरी

(ए.क.देहरिया)
 कार्यपालन यंत्री
 जल संसाधन संभाग कमाक 2
 बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
 भैसदेही